भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4179
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत

4179. श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री आलोक शर्माः
श्री जगदम्बिका पालः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री दुलू महतोः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
सुश्री कंगना रनौतः
डॉ. हेमांग जोशीः
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री आशीष दुबे:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी) पहल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं:

(ख) एमडब्ल्यूएफजीपी पहल के कार्यान्वयन की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा चिहिनत ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है और निगरानी के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक आधारित डैशबोर्ड के विकास की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) देश के प्रत्येक जिले में आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों का चयन और विकास राज्यवार किस प्रकार प्रस्तावित है और मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चिहिनत कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है;

(घ) एमडब्ल्यूएफजीपी के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ढांचे का राज्यवार ब्यौरा क्या है।

(ङ) कार्यशालाओं और अनुवर्ती पहलों में महिला प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं:

(च) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्यवार इन कार्यशालाओं के परिणाम जमीनी स्तर पर दीर्घकालिक नीतिगत बदलावों का मार्ग प्रशस्त करें;

(छ) क्या राज्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए सर्वोत्तम तरीकों और अनुभवों को साझा करने के लिए कोई तंत्र है ताकि सहयोगात्मक दृष्टिकोण में महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में एमडब्ल्यूएफजीपी पहल के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के साथ सहयोग की प्रकृति और दायरे का राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के प्रशिक्षण के माध्यम से, उनकी नेतृत्व और शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण करने का कार्य शुरू किया है।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ने 4-5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान एवं कौशल के साथ महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना है। इस अभियान के तहत आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी) पहल का भी शुभारंभ किया गया। एमडब्ल्यूएफजीपी पहल का उद्देश्य एक समावेशी और लैंगिक रूप से संवेदनशील स्थानीय शासन प्रणाली का निर्माण करना है जो जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा, अधिकार और सशक्तिकरण सुनिश्चित करे। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की सभी नौ थीमों के अंतर्गत देश के सभी ग्राम पंचायतों को संतृप्त करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन दिया गया है कि वे थीम 9: महिला हितैषी पंचायत से प्रारंभ करें, जिसके तहत प्रत्येक जिलें में एक ग्राम पंचायत की पहचान कर उसे 'महिला हितैषी ग्राम पंचायत' (एमडब्ल्यूएफजीपी) में रुपांतरित किया जाए। तत्पश्चात्, ये ग्राम पंचायतें अन्य ग्राम पंचायतों में, अपने द्वारा किए गए सुधारों को दोहराए जाने के लिए शिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगी।

अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 742 ग्राम पंचायतों की पहचान एमडब्ल्यूएफजीपी के रूप में की गई है। प्रगति की निगरानी के लिए, मंत्रालय ने छह व्यापक उप-विषयों: शासन में भागीदारी; शिक्षा और कौशल विकास; आर्थिक अवसरों तक पहुँच; स्वास्थ्य और पोषण; सुरक्षा और सुरक्षा; और हानिकारक प्रथाओं के खिलाफ एडवोकेसी के अंतर्गत 41 संकेतकों के साथ एक एमडब्ल्यूएफजीपी डैशबोर्ड विकसित किया है । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सटीक और गुणवत्तापूर्ण डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए डैशबोर्ड की कार्यक्षमताओं पर प्रशिक्षित किया गया है, और वर्तमान में आधारभूत डेटा निर्माण का कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा क्षेत्र में, कुल 4 ग्राम पंचायतों की पहचान एमडब्ल्यूएफजीपी के रूप में की गई है, अर्थात् शहडोल जिले में ढोलर; अन्नूपुर में खोका ग्राम पंचायत, उमरिया में घांगरी ग्राम पंचायत और कटनी जिले में तेवारी ग्राम पंचायत। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के तहत क्षमता निर्माण के लिए, महिला हितैषी ग्राम पंचायत पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और अध्ययन सामग्री विकसित की गई है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई है। । नवंबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच 310 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के एक कैडर को प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडी) में सरपंचों/अध्यक्षों/प्रधानों, सचिवों और अन्य एमडब्ल्यूएफजीपी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें एमडब्ल्यूएफजीपी की विभिन्न विशेषताओं; उनके परिवर्तन में ग्राम पंचायत की भूमिका और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में महिला- हितैषी उपायों के एकीकरण को शामिल किया गया है।

इन प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार, राज्य सरकारों और एसआईआरडी जैसी संस्थाओं के साथ निकट समन्वय में काम करती है, तथा उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा बैठकें और आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है।

(च) और (छ) आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों को एक मार्गदर्शक पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो लैंगिक रूप से संवेदनशील शासन में अनुकरणीय प्रथाओं का प्रदर्शन करती हैं और जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण, भागीदारी, सुरक्षा और अधिकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं। इन सर्वोत्तम प्रथाओं को क्षमता निर्माण प्रयासों, अनुभव यात्राओं और स्थानीय नीतिगत ढाँचों में एकीकरण के माध्यम से अन्य ग्राम पंचायतों में भी दोहराया जाता है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों, अनुभव यात्राओं और सम्मेलनों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करती हैं, जिससे महिला-नेतृत्व वाले शासन के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालय महिला-नेतृत्व विकास के विभिन्न घटकों के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नवीन और अनुकरणीय प्रथाओं को और अधिक प्रोत्साहित करता है।

(झ) मंत्रालय ने एमडब्ल्यूएफजीपी के लिए ज्ञान भागीदार (नॉलिज पार्टनर) के रूप में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के साथ साझेदारी की है। यूएनएफपीए ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने, मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी के प्रावधान में सहायता प्रदान की है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमडब्ल्यूएफजीपी के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी को मजबूती मिली है।

*****

अनुलग्नक : I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4179, जिसका उत्तर दिनांक 19/08/2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ग) के संबंध में अनुलग्नक

आदर्श महिला हितैषी **ग्राम पंचायत** (एमडब्ल्यूएफजीपी) **के रूप में विकसित करने के लिए चयनित ग्राम पंचायतों की सूची (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार)**

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**जिलों की कुल संख्या**	एमडब्ल्यूएफजीपी **की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	2
2	आंध्र प्रदेश	26	26
3	अरुणाचल प्रदेश	27	27
4	असम	35	27
5	बिहार	38	38
6	छत्तीसगढ़	33	27
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3	3
8	गोवा	2	2
9	गुजरात	33	33
10	हरियाणा*	22	23
11	हिमाचल प्रदेश	12	12
12	जम्मू एवं कश्मीर	20	20
13	झारखण्ड*	24	34
14	कर्नाटक	31	31
15	केरल	14	14
16	लद्दाख	2	2
17	मध्य प्रदेश	55	55
18	महाराष्ट्र	36	34
19	मणिपुर	16	16
20	मेघालय	12	12
21	मिजोरम	11	11
22	नागालैंड	17	16
23	ओडिशा	30	30
24	पंजाब	23	23
25	राजस्थान	41	33
26	सिक्किम	6	6
27	तमिलनाडु	38	37
28	तेलंगाना	33	31
29	त्रिपुरा	8	8
30	उत्तराखंड	13	13
31	उत्तर प्रदेश	75	75
32	पश्चिम बंगाल	23	21
	कुल	**762**	**742**

* इन राज्यों ने कुछ जिलों में एक से अधिक मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायतों की पहचान की है।